**प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 24.05.2024**

**"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पीडिता को बहलाफुसलाकर ले जाने वाले आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष 01 माह का कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।**

**कार्यवाहीः–**

अवगत कराना है कि दिनांक 24.04.2019 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र चेतराम सिंह निवासी ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर, वादी की बेटी को बहलाफुसलाकर ले गया। इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 157/19 धारा 363 भादवि बनाम पंकज उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 24.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा मु0अ0सं0 157/19 धारा 363 भादवि में अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र चेतराम निवासी ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 03 वर्ष 01 माह के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। बीस हजार रुपये में से दस हजार रुपये पीडिता को प्रतिकर के रुप में देय होगे।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

**दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-**

1- पकंज कुमार पुत्र चेतराम सिंह निवासी ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

**प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर** **दिनांकः- 24.05.2024**

**"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नांगल पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 304 भादवि के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास व 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।**

**कार्यवाहीः–**

अवगत कराना है कि दिनांक 23.03.2023 को वादी श्री रामू पुत्र छोटे लाल निवासी होलागढ जनपद प्रयागराज ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि अभियुक्त जसवन्त पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर जनपद प्रयागराज व वादी का बहनाई पारस पुत्र रामनाथ ग्राम भीटी पट्टी रजई थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज थाना नांगल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महमसापुर में ईंट भट्टे पर काम करते है तथा अभियुक्त जसवंत उपरोक्त द्वारा आपसी कहासुनी के दौरान शराब के नशे में पारस के सिर में डंडा मार दिया, जिससे पारस उपरोक्त की मृत्यु हो गयी। इस संबंध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 37/23 धारा 304 भादवि बनाम जसवंत उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 24.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश – I, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 37/23 धारा 304 भादवि में अभियुक्त जसवंत पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज को 05 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

**दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-**

1- जसवंत पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम फतेहपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।

## घटना के संबंध में तत्समय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें।

# नशे में धुत मजदूर ने लाठी से साथी को मार डाला

### नांगलसोती के गांव महमसापुर का मामला, भट्ठे पर हो गया था विवाद

संवाद न्यूज एजेंसी

**नांगलसोती/नजीबाबाद।** गांव महमसापुर में नशे में धुत ईंट भट्ठा मजदूर ने मामूली विवाद में लाठी से हमलाकर अपने साथ की हत्या कर दी। एसपी सिटी और सीओ ने घटनास्थल का दौरा किया और घटना के संबंध में पूछताछ की।

नांगलसोती के पूर्व प्रधान सुभाष चंद्र का गांव महमसापुर में ईंट भट्ठा है। बुधवार रात नशे में धुत प्रयागराज के गांव नवाबगंज निवासी 30 वर्षीय पारस और उसके साथी प्रयागराज निवासी जसवंत में किसी बात पर विवाद हो गया। जसवंत ने लाठी मारकर पारस को गंभीर रूप से घायल कर दिया। भट्ठा स्वामी घायल पारस को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

**ईंट भट्ठा मजदूर ने मामूली विवाद में लाठी से हमलाकर की हत्या**

सूचना मिलने पर देर रात एसपी सिटी डॉ. प्रवीण रंजन सिंह, सीओ गजेंद्र पाल सिंह, नांगल थानाध्यक्ष श्यामवीर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी जसवंत को गिरफ्तार कर लिया और मृतक पारस के शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेजा दिया।

पुलिस के मुताबिक महमसापुर के भट्ठे पर बारिश के कारण काम बंद हुआ था। मजदूर घर जाने के लिए जश्न मना रहे थे। इस दौरान उन्होंने शराब का सेवन किया। शराब के नशे में किसी बात को लेकर दोनों मजदूरों में विवाद बढ़ गया। जसवंत ने अपने साथी के सिर पर डंडा मार दिया था। सिर में गंभीर चोट लगने पर उसकी मौत हो गई।

# ईंट भट्ठे पर साथी ने सिर में डंडा मारकर की श्रमिक की हत्या

- प्रयागराज निवासी श्रमिक घर जाने की कर रहे थे तैयारी
- मामूली बात पर हुआ था विवाद देर रात पकड़ा आरोपित

**संवाद सूत्र, नांगलसोती (बिजनौर)** : ईंट भट्ठे पर एक श्रमिक ने डंडे से हमला कर साथी की हत्या कर दी। मृतक के रिश्तेदार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

चीटरी पट्टी रजाई, थाना नवाबगंज, प्रयागराज निवासी पारस पुत्र रामनाथ छह साथियों के साथ गांव महमसापुर स्थित शंकर ईंट भट्ठे पर नौकरी करने आया था। बुधवार को सीजन पूरा होने पर सभी लोग घर जाने की तैयारी में जुटे थे। रात करीब नौ बजे जसवंत पुत्र राम सिंह, निवासी फतेहपुर प्रयागराज का किसी बात को लेकर पारस से विवाद हो गया। दोनों में मारपीट होने लगी तो भट्ठा स्वामी व अन्य श्रमिकों ने मामला शांत करा दिया। करीब आधा घंटे बाद जसवंत शराब पीकर आया और पारस पर डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। सिर में चोट लगने से पारस की मौत हो गई। जसवंत मौके से फरार हो गया। मृतक की पत्नी के रिश्ते के भाई रामू पुत्र छोटेलाल ने पुलिस को तहरीर दी। थानाध्यक्ष श्यामवीर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना स्योहारा दिनांक 24.05.2024

# थाना स्योहारा पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

**कार्यवाहीः-**

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.05.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त छोटा उर्फ शकील पत्र पप्पू निवासी ग्राम फैजल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

छोटा उर्फ शकील पत्र पप्पू निवासी ग्राम फैजल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. उ0नि0 कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 360 बृजपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – थाना धामपुर** **दिनांक – 24.05.2024**

**थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 237/24 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 22.05.2024 को वादी श्री मक्खन सिंह पुत्र श्री छिद्दू सिंह निवासी ग्राम मौजपुर जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. आकाश पुत्र बहादुर, 2. ऋषभ पुत्र बहादुर निवासी ग्राम अलादीनपुर भटपुरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर व 3. बहादुर निवासी ग्राम अलादीनपुर भटपुरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र के साथ रुपयों के लेन-देन को लेकर गाली-गलौच की गयी तथा जान से मारने की नियत से सुजे से वार किया व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 237/24 धारा 307/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही –**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.05.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 237/24 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त आकाश पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम अलादीनपुर भटपुरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त सूजा सहित गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

आकाश पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम अलादीनपुर भटपुरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. उ0नि0 पवन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 अन्नू सैनी थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात     दिनांक – 24.05.2024**

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चोरी की गयी एल0ई0डी0 टच स्क्रीन सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 02 साथी बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 23.05.2024 को वादी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह निवासी ग्राम बेगमपुर हुर्रे उर्फ हुरनंगला थाना नगीना जनपद बिजनौर, प्रबंधक चौ0 राजाराम सिंह उ0 मा0 वि0 रहमापुर (बनवारीपुर) द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 23.05.2024 को विद्यालय की स्मार्ट क्लास में लगी स्मार्ट टच बोर्ड L.E.D (65 इंच cornea company) चोरी कर ली गयी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 109/2024 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.अरूण कुमार पुत्र तिलकराम 2.विशाल कुमार पुत्र तेजपाल सिंह निवासीगण ग्राम मसूरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर एवं 02 बाल अपचारियों का नाम प्रकाश में आया।

**कार्यवाही –**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.अरूण कुमार पुत्र तिकलराम 2.विशाल कुमार पुत्र तेजपाल सिंह निवासीगण ग्राम मसूरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया एवं 02 साथी बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से L.E.D (65 इंच cornea company) बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार/पुलिस अभिरक्षा में लिये गये अभियुक्तगण/बाल अपचारियों का नाम व पता –**

1.अरूण कुमार पुत्र तिलकराम निवासी ग्राम मसूरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2.विशाल कुमार पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम मसूरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
3.बाल अपचारी
4.बाल अपचारी

**बरामदगी –**

एल0ई0डी0 कोर्निया कम्पनी 65 इंच

**पुलिस टीम का विवरण –**

1. उ0नि0 श्री विजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 प्रशिक्षु विनय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 प्रशिक्षु गौरव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
4. हे0का0 664 अंकुर मान थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात** **दिनांक – 24.05.2024**

**थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 108/2024 धारा 452/376/323/506 भादवि व धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 23.05.2024 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त साहिल पुत्र अनीस निवासी ग्राम गंगोडा शेख थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के घर में घुसकर वादिनी की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया तथा वादिनी द्वारा देख लेने पर वादिनी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 108/2024 धारा 452/376/323/506 भादवि व धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम बनाम साहिल उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही –**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त साहिल पुत्र अनीस निवासी ग्राम गंगोडा शेख थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

साहिल पुत्र अनीस निवासी ग्राम गंगोडा शेख थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. उ0नि0 श्री इन्देश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 627 राजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना शेरकोट** **दिनांक – 24.05.2024**

**थाना शेरकोट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 301/22 में आरोपित व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया (यू-ट्यूब) पर वीडियो पोस्ट करने के सम्बंध में।**

अवगत कराना है कि वादिनी श्रीमती गीता रानी पत्नी कृष्णपाल पुत्री ओमपाल सिंह निवासी ग्राम तिपरजोत थाना शेरकोट जनपद बिजनौर द्वारा अपने पति कृष्णपाल पुत्र सुरेशचन्द सन्तोषी निवासी जीतनपुर मिलक थाना धामपुर जनपद बिजनौर व अन्य ससुरालीजनों के विरुद्ध दिनांक 25.11.2022 को थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 301/22 धारा 498ए/323/504/506/452/307/376/377 भादवि व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1.कृष्णपाल 2.डेविड 3.अंकित पुत्रगण सुरेशचन्द संतोषी 4.टीना पत्नी डेविड 5.आरती 6.गायत्री पुत्रीगण स्व0 सुरेशचन्द संतोषी 7.सुधा पत्नी सुरेशचन्द सन्तोषी निवासीगण जीतपुर मिलक थाना धामपुर जनपद बिजनौर पंजीकृत कराया। अभियोग की विवेचना उ0नि0 मुकेश राजौरा द्वारा सम्पादित की गयी। दिनांक 23.01.2023 को आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिसको दिनांक 27.03.2023 को मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। प्रकरण का संज्ञान मा0 न्यायालय द्वारा लिया गया है, जो मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 – III में विचाराधीन है।

आज दिनांक 24.05.2024 को आवेदक द्वारा वीडियो बनाकर यू-ट्यूब पर पोस्ट किया गया है। इस सम्बंध में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट– जनपद बिजनौर दिनॉक 24.05.2024

**महिला द्वारा अपने पति के विरूद्ध जारी एन0बी0डब्ल्यू0 में गिरफ्तारी की कार्यवाही कराये जाने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में।**

संक्षिप्त विवरण–

अवगत कराना है कि आज दिनांक 24.05.2024 को आवेदिका द्वारा अपने पति सुहैल के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये एन0बी0डब्ल्यू0 वांरट में गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा तत्काल प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर क्षेत्राधिकारी नगर को प्रकरण के संबंध में तत्काल कार्यवाही एवं 24 घण्टे में वैधानिक निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

आवेदिका के पति अभियुक्त सुहैल उर्फ राजा पुत्र अब्दुल खालिक निवासी कस्बा व थाना दनकौर जनपद नोएडा व उसके परिजनों के साथ घरेलू हिंसा के संबंध में माननीय न्यायालय में मुकदमें बाजी चल रही है। आवेदिका के कथन के अनुसार उसका पति दिल्ली में रह रहा है। प्रकरण अन्य राज्य से संबंधित है । माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उल्लेखनीय है कि आवेदिका पुलिस कार्यालय बिजनौर पर जनसुनवाई में अपने प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही हेतु आयी थी। जनसुनवाई के उपरान्त पुलिस कार्यालय के बाहर महिला ने सडक पर लेटने का प्रयास किया, महिला पुलिसकर्मियों द्वारा उसको समझाया गया । क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा महिला से पूछताछ की गयी तो महिला ने बताया कि उसने किसी के बहकावे में आकर सडक पर लेटने का प्रयास किया था तथा शोर शराबा किया था, जिससे मीडिया कवरेज मिले और पुलिस इसमें त्वरित कार्यवाही करें । महिला ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है । माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त होते ही बिजनौर पुलिस इसमें त्वरित कार्यवाही करेगी ।